



(हस्ताक्षर) - शुभरा कुमार सिंह

(पदनाम) - लिपिक

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) Dr. Ramesh Chandra Mishra

(पदनाम) - लिपिक

कार्यालय - जिला निबंधन कार्यालय औरंगाबाद

तारीख - 14.06.2012 मुहर



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

- टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पतियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ग्रान्जेवशब्द) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- (2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स)की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेने चाहते हो अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट सम्पतियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।
- (3) किन्तु चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है, फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिए गये तलासी परिणाम और किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
- (4) और, चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूकि उसके द्वारा दूँडे गये संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाह प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ने दूँडे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार होगा। जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ना हो।

Attested  
S. Sinha C. Leg.  
Aurangabad

16.6.12  
Dept. Of Computer Application  
Sinha College, Aurangabad

16/06/2012  
PRINCIPAL  
S. SINHA COLLEGE  
AURANGABAD